

**पूर्व में लागू विकल्प के अनुसार 2024-25**

U/S 192 (2B)

IN LIU OF FORM No. 12-C

**STATEMENT OF INCOME TAX FOR THE PURPOSE OF TDS**

**नोट- यह प्रपत्र सम्पूर्ण नहीं अपूर्ण है, अधिक व पूर्ण जानकारी हेतु अपने अधिवक्ता, सी0ए0 या आयकर विभाग से संपर्क करें**

**31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए**

**वित्त वर्ष 2024-25**

**मूल्यांकन वर्ष 2025-26**

कर्मचारी का नाम	:	UTSAHI					
पद	:	PATWARI					
कार्यालय का पता	:						
निवासी पता	:						
आयकर हेतु पैन नंबर/परमानेंट खाता नंबर	:						
वर्ग (अ0ज0/अ0ज0जा0/पि0व0/सामान्य)							
<b>1 आय</b>							
a) वेतन	(Pay+DA+ADA+CCA+HRA+IR)						
b) बकाया वेतन							
c) अवकाश का नगदीकरण							
d) अन्य परिलब्धियां							
		<b>योग (a+b+c+d)</b>					<b>0</b>
	छूट: मानक कटौती			- 50000		(1)	<b>-50000</b>
<b>2</b>	मकान किराया भत्ता छूट (मकान किराया रसीद की फोटोकॉपी लगाएँ)						
(a)	मकान किराया भत्ता						
(b)	वेतन + महगाई भत्ते के 10% से अधिक दिया गया किराया						
(c)	वेतन + महगाई भत्ते के 40%						
	<b>उपरोक्त में जो कम हों उसे घटाएँ</b>					(2)	<b>0</b>
<b>3</b>	कर योग्य सकल वेतन					(3)	<b>-50000</b>
<b>4</b>	वृत्तिकर कटौती				2500	(4)	
<b>5</b>	कर योग्य वेतन					(3)-(4)	<b>-50000</b>
<b>6</b>	गृह संपत्ति से कर योग्य आय					(6)	<b>0</b>
<b>7</b>	पूँजीगत लाभ	(a) अल्पकालिक					
		(b) दीर्घकालिक					
						<b>योग</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	अन्य स्रोतों से आय						
a)	परीक्षा पारिश्रमिक						
b)	पुराने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर ब्याज						
c)	अन्य ब्याज रसीद						
d)	म्यूचुअल फण्ड पर लाभांश						
						<b>योग</b>	
<b>9</b>	कर योग्य कुल आय					<b>(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>-50000</b>
<b>10</b>	अनुभाग 24(b) के अंतर्गत कटौतियाँ <स्वयं के रहवास हेतु>						
	यदि 31/03/1999 के पूर्व ऋण लिया हो तो जिस वर्ष में ऋण लिया है उसके 5 वित्त वर्ष के अन्दर गृह निर्माण/कब्जा कर लेने पर ब्याज की अधिकतम छूट रु 30,000/-						
	यदि 31/03/1999 के पश्चात् ऋण लिया हो तो जिस वर्ष में ऋण लिया है उसके 5 वित्त वर्ष के अन्दर गृह निर्माण/कब्जा कर लेने पर ब्याज की अधिकतम छूट रु 2,00,000/-						
<b>11</b>	अध्याय VI के अंतर्गत कटौतियाँ						
	<b>अनुभाग 80 C के अंतर्गत</b>						
a)	सामान्य भविष्य निधि/डी0पी0एफ0/पेंशन अंशदान					NPS	
b)	समूह बीमा योजना/ पारिवारिक लाभ निधि प्रीमियम						
c)	स्वीकृत सुपर एन्युएशन फंड में अंशदान						
d)	जीवन बीमा निगम प्रीमियम						
e)	किन्हीं 2 बच्चों के विद्यालय/महाविद्यालय की ट्यूशन फीस						
f)	नई राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र खरीदी हो						
g)	सामान्य भविष्य निधि/पी0पी0एफ0						
h)	सुकन्या समृद्धि योजना						
i)	अनुसूचित म्यूचुअल फंड द्वारा स्थापित पेंशन फंड में जमा						
j)	पुराने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के ब्याज का पुनः निवेश						
k)	मूलधन का दोबारा भुगतान						
l)	ईकाई लिंक बीमा योजना/धन रक्षा/जीवन धारा/जीवन अक्षय						
m)	विनिर्दिष्ट म्यूचुअल फंड						
o)	नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा जारी बांडों की सदस्यता						
p)	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004						
q)	अन्य						
	<b>अनुभाग 80CCC के अंतर्गत- किसी बीमा निगम की पेंशन निधि पॉलिसी में जमा राशि</b>						



**बजट 2020 में घोषित नये विकल्प के आधार पर**

**STATEMENT OF INCOME TAX FOR THE PURPOSE OF TDS**

U/S 192 (2B)

IN LIU OF FORM **ITS**

**Income Tax Act 1961** आयकर स्रोत कटौती के बावत आय का प्राक्कथन **12C**

नोट- यह प्रपत्र सम्पूर्ण नहीं है, सामान्य प्रविष्टियों का सहायक प्रपत्र मात्र है। अधिक व पूर्ण जानकारी हेतु अपने संबंधित विभाग, वकील, सी.ए. से संपर्क करें

(To be submitted in November 2024 by Assessee- Employee to his Employer for salary upto March 2025 i.e. for Fin. Year 2024-25 for employees having gross receipts of more than Rs. 2,50,000/- in the financial year irrespective of deduction or exemption)

**Year Ending 31/03/2025**

**Financial Year 2024-25**

**Assessment Year 2025-26**

<b>कर्मचारी का नाम</b>		:		<b>UTSAHI</b>	
<b>पद</b>	:	<b>PATWARI</b>	<b>Mobile Number</b>	:	
<b>Adhaar Number</b>	:		<b>I.T. PAN no. / Perm A/C No.</b>	:	
<b>कार्यालय का पता</b>	:				
<b>निवासी पता</b>	:				
<b>1 आय</b>					
a) वेतन से आय (Pay+DA+ADA+CCA+HRA+IR)				:	
b) बकाया वेतन Arrears of Pay				:	
c) छुट्टी का नगदीकरण / Encashment of Leave				:	
d) अन्य परिलाब्धियां / Other perquisites				:	
			<b>योग (a+b+c+d)</b>		<b>0</b>
			छूट: मानक कटौती/Standard Deduction	- 50000	<b>(1) : -50000</b>
<b>2</b>	गृह संपत्ति से कर योग्य आय / Taxable Income from House Property			<b>(2) :</b>	
<b>3</b>	पूँजीगत लाभ (a) अल्पकालिक Short Term			<b>(3a) :</b>	
	Capital Gains (b) दीर्घकालिक Long Term			<b>(3b) :</b>	
			<b>योग</b>	<b>(3) :</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	अन्य स्रोतों से आय / Income from other Sources				
a) परीक्षा पारिश्रमिक					
b) पुराने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर ब्याज					
c) अन्य ब्याज रसीद					
d) म्युचुअल फण पर लाभांश					
			<b>योग</b>	<b>(4) :</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	कर योग्य कुल आय / Total Taxable Income		<b>(1)+(2)+(3)+(4)</b>	<b>(5) :</b>	<b>-50000</b>
<b>6</b>	शुद्ध कर योग्य आय को राशि निकटम 10-/- तक पूर्णकृत			<b>(6) :</b>	<b>-50000</b>
<b>7</b>	शुद्ध कृषि आय: कर दर के लिए (परिभाषित प्रावधानों के अधीन)			<b>(7) :</b>	
<b>8</b>	कर गणना हेतु आय का योग		योग (6 + 7)	<b>(8) :</b>	<b>-50000</b>
<b>9</b>	आय की गणना 'पुरुष या महिला दर एक समान है'				
	0 से 300000 तक	कुछ नहीं			
	300001 से 6 लाख तक	5%	-17500		<b>0</b>
	600001 से 9 लाख तक	10%	-65000		<b>0</b>
	900001 से 12 लाख तक	15%	-142500		<b>0</b>
	1200001 से 15 लाख तक	20%	-190000		<b>0</b>
	1500001 से अधिक	30%	0		<b>0</b>
			<b>योग</b>	<b>(9) :</b>	<b>0</b>
	<b>घटाए: यदि व्यक्ति की आय 7 लाख तक है तो उसे u/s 87a के अंतर्गत 25000/- तक की छूट प्राप्त होगी, उसका कर शून्य हो जाएगा</b>			<b>-25000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	देय आय कर Income Tax Payable (Total of Col. 9)			<b>(10) :</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	शिक्षा एवं उच्च शिक्षा उपकर Education Hr Edu. Cess (4% of Col 10)			<b>(11) :</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	कुल आयकर Total Income Tax		योग (10 + 11)	<b>(12) :</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	अनुभाग 89 के अंतर्गत राहत (बकाया राशि के कर का अंतर)			<b>(13) :</b>	
<b>14</b>	शुद्ध देयकर Net Income Tax Payable		योग (12 + 13)	<b>(14) :</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	अब तक काटा गया कर Tax already deducted			<b>(15) :</b>	
<b>16</b>	आगामी माह से शेष कर कटौती Balance tax to be deducted from salary (14 - 15)			<b>(16) :</b>	<b>0</b>
			1) दिसम्बर 2024		<b>0</b>
			2) जनवरी 2025		<b>0</b>
			3) फरवरी 2025		<b>0</b>
			4) मार्च 2025		<b>0</b>
	<b>कुल कटौती</b>				<b>0</b>
	<b>शेष</b>				<b>0</b>







